

Registration no: (22613622021921140031) Date: (0) Valid till: (0)



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | MUNGER
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र



सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक
PARAMOUNT ACADEMY TARAPUR
PARAMOUNT ACADEMY TARAPUR

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रसूचि का प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक: 21-09-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय त्रिसदस्यीय समिति के बैठक दिनांक : 0 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय PARAMOUNT ACADEMY TARAPUR, PARAMOUNT ACADEMY TARAPUR, TARAPUR. 813221 को कक्षा 1 से 8 तक संघातन हेतु तीन वर्षों से 21-9-2024 अवधि के लिए औपबधिक प्रसूचि प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रसूचि निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रसूचि किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अल्पभारतीय समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कठिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालन करेगा।
5. सोसाइटी, विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :-

- (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
- (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
- (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
- (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
- (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
- (viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

Principal
Paramount Academy
Tarapur (Munger)

Secretary
Paramount Lok Kalyan Samiti
Tarapur, Munger

1. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्घृत भागों एवं अनुबंधों को बरकरार रखा। विद्यालय के अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय के समस्त उपकरण सुविधाओं का विवरण निम्नतः

(1) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल - 15230 वि.मी.

(2) कुल विद्यार्थी - 12233 वि.मी.

(3) विद्यालय के भवन का क्षेत्र - COMPUTER LAB, PLAYGROUND, BASEMENT, LIBRARY, SCIENCE LAB

(4) वर्गों की कुल संख्या - 47

(5) विद्यालय परिसर का कुल क्षेत्रफल - 3

(6) विद्यालय के भवन का क्षेत्रफल - 15230 वि.मी.

(7) विद्यालय की सुविधा - 2

(8) विद्यालय भवन के विद्यार्थी - 12233

(9) विद्यालय की सुविधा - 2

(10) विद्यालय अधिनियम अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय के समस्त उपकरण सुविधाओं का विवरण निम्नतः

(11) विद्यालय अधिनियम अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय के समस्त उपकरण सुविधाओं का विवरण निम्नतः

(12) विद्यालय अधिनियम अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय के समस्त उपकरण सुविधाओं का विवरण निम्नतः

(13) विद्यालय अधिनियम अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय के समस्त उपकरण सुविधाओं का विवरण निम्नतः

(14) विद्यालय अधिनियम अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय के समस्त उपकरण सुविधाओं का विवरण निम्नतः

(15) विद्यालय अधिनियम अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय के समस्त उपकरण सुविधाओं का विवरण निम्नतः

(16) विद्यालय अधिनियम अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय के समस्त उपकरण सुविधाओं का विवरण निम्नतः

(17) विद्यालय अधिनियम अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय के समस्त उपकरण सुविधाओं का विवरण निम्नतः

(18) विद्यालय अधिनियम अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय के समस्त उपकरण सुविधाओं का विवरण निम्नतः

(19) विद्यालय अधिनियम अधिनियम के अंतर्गत विद्यालय के समस्त उपकरण सुविधाओं का विवरण निम्नतः

विश्वास भाजन
हस्ताक्षर
जिला शिक्षा पदाधिकारी, MUNGER
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

LETTER

Mehar V. Singh
Secretary
Paramount Lok Kalyan Samiti
Tarapur, Munger

Principal
Paramount Academy
Tarapur (Munger)

Principal
Paramount Academy
Tarapur (Munger)